

सूचना का अधिकार 2005 के प्रति महिलाओं में जागरूकता

सारांश

सूचना का अधिकार 2005 अधिनियम को विश्व में मान्यता देने वाला भारत 55 वां देश है। केवल जम्मू एवं कश्मीर भारत का ऐसा प्रदेश है, जहां पर सूचना का अधिकार 2005 के तहत जानकारी नहीं दी जाती है। ये सरकारी कार्यालयों में होने वाले गलत कार्य/रिश्वतखोरी को कम करने के लिये/समय पर सरकारी कार्य करवाने के लिये लागू किया गया। अंग्रेजी भाषा में इसे (Right to Information) कहते हैं। इसके तहत सरकार ने वो अधिकार दिये हैं, जो कि किसी भी सामान्य व्यक्ति को ताकतवर बनने में मदद करते हैं। जैसे : भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति टैक्स का भुगतान करता है, तो उसे इस अधिनियम के तहत ये जानने का हक दिया गया है, कि उसके द्वारा दिया गया टैक्स के रूप में पैसा देश के किस कार्य को करने के लिये लगाया जा रहा है।

मुख्य शब्द : अधिनियम, सामान्य व्यक्ति, जागरूकता, सरकारी कार्यालय, समाधान, गोपनीयता, देश की सुरक्षा, टैक्स का भुगतान, निःशुल्क जानकारी, भ्रष्टाचार, लोकतंत्र मजबूत होना, रिश्वतखोरी, हथियार, सरकारी कर्मचारी।



अनिल कुमार

पुस्तकालय विभाग,
भगत फूल सिंह महिला
विश्वविद्यालय,
खानपुर कला, सोनीपत,
हरियाणा

प्रस्तावना

सूचना का अधिकार 2005 के तहत प्रत्येक देश के व्यक्ति/महिलाओं को सरकार से किसी भी प्रकार की जानकारी लेने की आजादी दी गई है। इसके आने से सामान्य व्यक्तियों में खासकर महिलाओं में सरकार के कार्यों के प्रति जागरूकता/रुचि बढ़ी है। सरकार के गलत कार्यों/भ्रष्टाचार को रोकने के लिये ये एक हथियार के रूप में देखा जा सकता है। इसके प्रयोग से कई ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है, जिससे सामान्य व्यक्तियों/महिलाओं की प्रतिदिन होने वाली सरकारी कार्यालयों में समस्या का समाधान हो गया। माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मांगी गई जानकारी को छिपाने के एक प्रकरण में प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त (वजाहत हवी बुल्ला) को बुरी तरह से लताड़ा गया था। जिससे सूचना के अधिकार 2005 में काफी सुधार होता प्रतीत हो रहा है। भारत में बढ़ते विकास के अहम योगदान के साथ-साथ नेट का प्रयोग के माध्यम से सूचना का अधिकार 2005 में भी प्रयोग होने लगा है, सम्बन्धित विभाग के द्वारा अपूर्ण जानकारी मिलने पर प्रथम अपील में अनुरोध पर भी पूरी सूचना ना मिलने पर राज्य सूचना आयोग को ई-मेल से अनुरोध किया जा सकता है।

अध्ययन का उद्देश्य

सूचना का अधिकार 2005 के तहत महिलाओं में उनके उचित अधिकार के बारे में जागरूक करना है। महिलाओं के विकास के देश के विकास को गति मिलती है। इससे देश में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने में सहायता मिलती है। सूचना का अधिकार 2005 से अपने अधिकारों को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इसमें सहायता मिलती है। महिलाओं को शिक्षा के साथ में सही कार्य करने के लिये प्रेरणा मिलती है।

1. सूचना का अधिकार 2005 के तहत भारत का स्थाई व्यक्ति ही इसके तहत जानकारी ले सकता है।
2. इसके तहत केवल सरकारी कार्यालय/भवन से सम्बन्धित की कोई भी जानकारी ले सकते हैं।
3. मांगी गई जानकारी को समय सीमा में देने के लिये सम्बन्धित विभाग/कार्यालय ने अपने अधिकारियों को उनके कार्य के अतिरिक्त जनसूचना अधिकारी का भी अतिरिक्त कार्य भार दिया गया है, वो भी बिना किसी लाभ/अन्य राशि दिये बिना।

4. मांगी गई जानकारी व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार पत्र के रूप में, सी. डी. में, विडियो में, डिस्क के रूप में ले सकता है।
5. मांगी गई जानकारी को लेने के लिये मात्र 10/- रू0 फीस निर्धारित की गई है, यदि व्यक्ति बी. पी. एल. कार्ड धारक है, तो उसे निःशुल्क जानकारी दी जायेगी।
6. मांगी गई जानकारी को देने के लिये केवल 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके बाद मिलने वाली सारी जानकारी भी निःशुल्क में मिलती है।
7. मांगी गई जानकारी को 30 दिन में नहीं मिलने पर सम्बन्धित विभाग/कार्यालय के प्रथम अपील अधिकारी को अवगत करवाया जा सकता है।
8. मांगी गई जानकारी को निम्न सरकारी कार्यालयों से लिया जा सकता है, उनके नाम इस प्रकार से हैं, BSNL, Govt. School & Colleges, Electricity Board, Police Department, Govt. Hospitals, Govt. offices, Bank, Courts, election Commission, Parliament and Legislature, Prime minister, Governor, Chief Minister and President etc.
9. मांगी गई जानकारी को मांगी गई दिनांक से बीस वर्ष पुरानी जानकारी को ले सकते हैं।
10. सूचना का अधिकार से किसी व्यक्ति के जीवन से सम्बन्धित जानकारी मांगी गई हो तो उसको मात्र 02 दिन के समय (48 घण्टे) में देने का प्रावधान है।
11. मांगी गई जानकारी समय सीमा में नहीं मिलने पर उस विभाग/कार्यालय के प्रथम अपील अधिकारी को इसके बारे में अवगत करवाया जा सकता है।
12. प्रथम अपील की सुनवाई से मांगी गई पूर्ण जानकारी ना मिलने पर राज्य सूचना आयोग को अवगत करवाया जा सकता है।
13. राज्य सूचना आयोग को अनुरोध पत्र स्वयं उनके कार्यालय में जाकर, ई-मेल के माध्यम या डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है।
14. राज्य सूचना आयोग प्रतिदिन 250/- रू0 के हिसाब से देरी के लिये सम्बन्धित विभाग/कार्यालय पर जुर्माना लगा सकते हैं। जो कि सम्बन्धित जनसूचना अधिकारी को अपनी स्वयं के वेतनमान से देना होता है।

साहित्यावलोकन

1. Haryana State Information Commission, (SIC) Haryana, Act 2005. (सूचना का अधिकार लागू करने में भारत 55 वां देश है। केवल जम्मू एवं कश्मीर भारत का ऐसा प्रदेश है, जहां पर सूचना का अधिकार 2005 के तहत जानकारी नहीं दी जाती है। ये सरकारी कार्यालयों में होने वाले गलत कार्य/रिश्तखोरी को कम करने के लिये/समय पर सरकारी कार्य करवाने के लिये लागू किया गया।
2. RTI Act-2005 (2017) इसके तहत केवल सरकारी कार्यालय/भवन से सम्बन्धित की कोई भी जानकारी ले सकते हैं। मांगी गई जानकारी को समय सीमा में देने के लिये सम्बन्धित विभाग/कार्यालय ने अपने अधिकारियों को उनके कार्य के अतिरिक्त जनसूचना

अधिकारी का भी अतिरिक्त कार्य भार दिया गया है, वो भी बिना किसी लाभ/अन्य राशि दिये बिना। मांगी गई जानकारी व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार पत्र के रूप में, सी. डी. में, विडियो में, डिस्क के रूप में ले सकता है। मांगी गई जानकारी को लेने के लिये मात्र 10/-रू0 फीस निर्धारित की गई है, यदि व्यक्ति बी. पी. एल. कार्ड धारक है, तो उसे निःशुल्क जानकारी दी जायेगी। मांगी गई जानकारी को देने के लिये केवल 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके बाद मिलने वाली सारी जानकारी भी निःशुल्क में मिलती है। मांगी गई जानकारी को 30 दिन में नहीं मिलने पर सम्बन्धित विभाग/कार्यालय के प्रथम अपील अधिकारी को अवगत करवाया जा सकता है।

3. RTI Act-2005 rules (2017) नेट का प्रयोग के माध्यम से सूचना का अधिकार 2005 में भी प्रयोग होने लगा है, सम्बन्धित विभाग के द्वारा अपूर्ण जानकारी मिलने पर प्रथम अपील में अनुरोध पर भी पूरी सूचना ना मिलने पर राज्य सूचना आयोग को ई-मेल से अनुरोध किया जा सकता है।

निम्न सूचना देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये नहीं प्राप्त कर सकते-

1. सूचना का अधिकार के तहत अन्य देशों की जानकारी जो कि उन्होंने हमारे देश को विश्वास पर प्रदान की है, उसे नहीं लिया जा सकता है।
2. सूचना का अधिकार के तहत किसी व्यक्ति की स्वयं से सम्बन्धित जानकारी जिससे उसके जीवन को जानमाल का नुकसान हो, उसे नहीं लिया जा सकता है।
3. सूचना का अधिकार के तहत मंत्रीमंडल के कागजपत्र, जिसमें किसी विषय पर विचार-मंत्रणा की गई हो, उसे नहीं लिया जा सकता है।
4. सूचना का अधिकार के तहत किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के कार्यालय से ए. सी. आर. व अन्य दस्तावेज जिसमें उसका मकान का पता व फोन नम्बर लिखे गये हो, उसे नहीं लिया जा सकता है।
5. सूचना का अधिकार के तहत किसी प्राईवेट फेक्ट्री, व्यापार गोपनीयता, देश सुरक्षा से सम्बन्धित सेना की जानकारी नहीं ली जा सकती है।
6. सूचना का अधिकार के तहत किसी महिला कर्मचारी की जानकारी को भी बिना किसी ठोस वजह/मांगी गई जानकारी को लेने का असली मकसद को बिना बताये नहीं लिया जा सकता है।

सूचना का अधिकार 2005 हमारे देश में लागू करके भारत सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है। इसको सही ढंग से लागू करने में अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा एवं अभी भी कई प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। इसमें भारत की कार्यपालिका/न्यायालय का भी महत्वपूर्ण योगदान है। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी/अधिकारी अपनी ड्यूटी का महत्व समझने लगे हैं, एवं सामान्य व्यक्तियों के कार्य समय पर पूर्ण होने लगे हैं।

इस अधिनियम को सामान्य व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है, इससे महिलाओं को बहुत अधिक फायदा मिला है। इसलिये ऐसे अधिकारियों को लगाया जाना चाहिये जो कि कार्य को करने की पूर्ण करने की क्षमता रखते हों। जैसे : सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के न्यायाधीश, कानून के ज्ञाता, गैर-सरकारी संस्थाओं के योग्य व्यक्तियों, प्रमुख शिक्षाविदों, प्रमुख समाजसेवा करता। जिससे सामान्य व्यक्तियों/महिलाओं को इसका लाभ भविष्य में भी इसी प्रकार से मिलता रहें।

निष्कर्ष

सूचना का अधिकार 2005 को सामान्य नागरिक (आम जनता) को सरकारी तंत्र में हो रहे कार्यों को जानने वहां पर फैले भ्रष्टाचार/गलत कार्यों को देश की जनता के सामने लाने के लिये एवं महिलाओं को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक और पारदर्शिता बनाये रखने के लिये ये अधिनियम लाभकारी सिद्ध हुआ है। विस्तार से ये कहा जा सकता है, सामान्य नागरिक इसका कानूनी रूप से और

सरकारी कार्यालयों में कार्य के सुधार के लिये बहुत उपयोगी साबित हुआ है।

सामान्य महिलाओं को देश में हो रहे कार्यों के प्रति हक, उत्तरदायित्व और सही तरीके से उसे पूर्ण करने के लिये योग्य बनाना, देश के विकास में हो रहे बदलाव की राह दिखाता है। इससे हमारे देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत हुआ है। जो कि देश के विकास की झलक दिखाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *Haryana State Information Commission, (SIC) Haryana, Act 2005,*
2. <http://rtiact2005.com/rti-act-2005-section-8-in-hindi/> access on dated 22/08/17
3. <http://www.hindiremedy.com/rti-act-rules/> access on dated 22/08/17.
4. [http://indiatoday.intoday.in/bestcolleges/2013/ranks.jsp?ST=medicin and y=2013](http://indiatoday.intoday.in/bestcolleges/2013/ranks.jsp?ST=medicin&y=2013) access on dated 23-08-17.